शिक्षा का अधिकार
Right to Education

शिक्षा के बगैर एक सभ्य और सुसंस्कृत जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लोकतंत्र को सही दिशा देने तथा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों की पहचान करने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक का सुशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। इसी को संविधान के प्रारंभ में, अनुच्छेद-45 में नीति के निदेशक तत्वों के अधीन राज्य का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया था कि वह बालकों को प्रारंभिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध करायेगा।

परंतु शिक्षा के महत्व को देखते हुए इतना ही काफी नहीं था। प्रारंभिक शिक्षा प्रत्येक बालक का अधिकार है तथा बालकों को शिक्षा से वंचित कर भारत के स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करना उचित नहीं होगा।

बालकों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए जाने की मांग उठायी जाती रही :-

i) उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य के वाद में 1993 ई में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान खण्ड-4 के अनुच्छेद 45 को खण्ड-3 के अनु॰ 21 के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए।

ii) अनु॰ 45 में यह प्रावधान था कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, जबकि अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है।

P.T.O.

Scanned with CamScanner

मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसी आशय का निर्णय देते हुए कहा था कि प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार अनु० - 21 के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।

अंततः 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाते हुए इसे मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। इसके द्वारा :-

i) अनुच्छेद-21 में खण्ड (क) जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।

ii) अनु०-45 में प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी उपबंध का लोप कर यह प्रावधान किया गया कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों का देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा।

iii) अनुच्छेद 51 क (ट) - जोड़कर माता-पिता या संरक्षकों का यह दायित्व निर्धारित किया गया कि 6-14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे।

Scanned with CamScanner

Buddha

C-10

Unit - III

Bullet - 1

अनुकूलन (Adaptation)

Introduction of Adaptation (अनुकूलन) :-

शिक्षा व्यवस्था में अनुकूलन का आशय (तात्पर्य) अपवंचित, अक्षम, पिछड़े एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों के विद्यालयी व्यवस्था एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन से है; जैसे - एक मन्दबुद्धि बालक विद्यालय में प्रवेश करता है जो शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत सहायता करके उसे विद्यालयी व्यवस्था के प्रति अनुकूलन सिखाया जाता है।

इस प्रकार जब बालक - बालिकाओं में विविधता होते हुए भी उनको विद्यालय में ... क्रमबद्ध एवं सुसंगठित व्यवस्था के साथ समायोजन सिखाया जाता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया अनुकूलन के अन्तर्गत आती है।

Needs of Adaptation :-

अनुकूलन की प्रक्रिया को सम्पन्न करने के लिये निम्नलिखित व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिये :-

(1.) योजना निर्माण (planning Construction) :-

सामान्य विद्यालयों में विविधता से सम्पन्न छात्रों का अनुकूलन करने के लिए योजना का निर्माण करना चाहिये। इस योजना में अभिभावक, समुदाय, शिक्षक, विशेष शिक्षा शिक्षक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मिलित करना चाहिये, क्योंकि बहुत सी संस्थाएँ विशेष शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उनको इस क्षेत्र में विशेष अनुभव होते हैं। इस अनुभवों का लाभ सभी को प्राप्त होता है तथा सभी मिलकर छात्रों के अनुकूलन का प्रयास करते हैं।

Scanned with CamScanner

(2.) शिक्षकों का सहयोग (Co-operation of Teacher):-

शिक्षकों को आपसी सहयोग की व्यवस्था करनी चाहिये। सामान्य शिक्षकों को विशेष शिक्षा या समावेशी शिक्षा के शिक्षकों से सहयोग प्राप्त करना चाहिए। सहयोग की इस प्रक्रिया में प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति का सहयोग भी लिया जाय। इससे विविधता से युक्त छात्रों के विद्यालयी अनुकूलन पर विचार-विमर्श किया जा सकेगा। विशेष शिक्षा शिक्षक द्वारा सामान्य शिक्षा शिक्षकों को सुझाव प्रदान किये जा सकेंगे।

(3.) योजना का मूल्यांकन (Evaluation of planning):-

अनुकूलन के लिये जो भी योजनाएँ निर्मित की जाये उनकी समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिये। इसमें सर्वप्रथम क्रियान्वयन की नीति का मूल्यांकन किया जाय। इसके बाद उस योजना के द्वारा कितने छात्रों का अनुकूलन किया गया। इसके साथ-साथ जिस उद्देश्य के लिये योजना का निर्माण किया। उस उद्देश्य को किस स्तर तक प्राप्त किया गया है। योजना की त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिये जिससे आगे की योजना में वे त्रुटियाँ न रहें। इस प्रकार के प्रत्येक अनुकूलन, योजना एवं कार्यक्रम की समीक्षा करनी चाहिये।

(4.) श्रवण बाधित छात्रों का अनुकूलन (Adaption of hearing impaired students):-

विद्यालय में कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो कि कम सुनते हैं। किसी चोट के कारण इनको कम सुनायी देता है या बचपन से ही। प्रथम इन बालकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिये। यदि किसी कारण उनकी श्रवण क्षमता वापस नहीं आती तो उनके लिये श्रवण यंत्र की व्यवस्था की जाय। शिक्षक द्वारा ऐसे छात्रों को लिखित निर्देश दिये जायें तथा लिखित कार्य प्रदान किया जाय। इससे छात्रों में अनुकूलन बना रहेगा।

Scanned with CamScanner